न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बाढ (पटना) उपस्थित:- विवेक भारद्वाज निर्णय तिथी:- 23-06-2026 सत्रवाद संख्या - 999/2023 सी आई एस नं0- 3588/2023 प्राथमिकी संख्या – 271/2019, थाना – बख्तियारपुर
बनाम् बिहार राज्य सरकार सूचक – धीरज कुमार, पे0 गणेश प्रसाद साकिन – रवाईच, थाना – बख्तियारपुर जिला – पटना

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री जगत नरायण सिंह, अपर लोक अभियोजक, बाढ।
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री विजय कुमार (अधिवक्ता)

प्राथमिकी की तिथी	19.08.2019
आरोप पत्र की तिथी	28.02.2020
आरोप गठन की तिथी	20.01.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथी	26.11.2025
अभियोजन साक्ष्य बदं होने की तिथी	15.05.2026
धारा 313 दं प्र स की तिथी	01.06.2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथी	15.06.2026
निर्णय की तिथी	23.06.2026
दण्डादेश की तिथी, यदि हैं तो–	नहीं

23/6/26

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	A-1
अभियुक्त का नाम	सुर्यदेव सिंह, पिता – स्व0 राम श्रृगांर सिंह साकिन – रवाईच, थाना – बख्तियारपुर, जिला – पटना
गिरफतारी की तिथी	
जमानत पर मुक्त होने की तिथी	
आरोप	307, 341, 324 भा0 द0 वि0
दोष मुक्ति/दोष सिद्धि	दोष मुक्ति
दण्ड की मात्रा	
धारा 428 दं प्र सं के उद्देश्यों के लिए, विचारण के दौरान अभिरक्षा–अवधी	

अभियोजन/बचाव पक्ष एवं न्यायालय साक्षियों की सूची।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह
01	धीरज कुमार	सूचक
02	नीरज कुमार	अन्य गवाह
03	गणेश प्रसाद उर्फ गणेश महतो	अन्य गवाह
04	चिटुं कुमार	अन्य गवाह

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

कम संख्या	साक्षियों के नाम	साक्षियों की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सा साक्ष्य एवं अन्य गवाह

अभियोजन एवं प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श – 01	लिखीत आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर

प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

वस्तु प्रस्तुत प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

निर्णय

01. एकमात्र अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरूद्ध धारा 307, 341, 324 भा0 द0 वि0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध हेतू आरोप भारित हैं।

02. सूचक धीरज कुमार के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 19.08.2019 को समय 04:30 बजे शाम में जब सूचक अपने घर के छत पर खाना खा रहे थे उसी समय सुर्यदेव सिंह, सूचक के मॉ–बाप को गाली गलौज करते हुए बोल रहे थे कि छज्जा गिराने नहीं देंगें, जब सूचक के बाबा बोले कि मेरा जमीन हैं तो हम छज्जा क्यों नहीं गिरायेंगें, इसी बात को लेकर बाता–बाती हो रहा था, इसी बीच जब सूचक छत से नीचे आने लगे तो छत पर ही इन्हें पीछे से सुर्यदेव

सिंह भाला से हमला कर दिये। भाला सूचक के बांया हाथ के कलाई मे घुस गया, जिससे ये बुरी तरह जख्मी हो गये तथा आस पास के लोग भी जुट गये।

03. सूचक धीरज कुमार के लिखीत आवेदन के आधार पर अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध धारा 341, 324, 307 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 271/2019, दिनांक 19.08.2019 दर्ज किया गया। सम्यक अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिनांक 28.02.2020 को अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध धारा 341, 324, 307 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 79/2020, दिनांक 28.02.2020 समर्पित किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ द्वारा आरोप पत्र की धाराओं के अर्न्तगत नामित अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को पुलिस प्रपत्र दिया गया। चुंकि उपरोक्त धाराए सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं अतः दिनांक 25.04.2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त सूर्यदेव सिंह का वाद दौरा सूपूर्द किया गया जो विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना से वाद विचारण हेतू इस न्यायालय में दिनांक 05.09.2023 को हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ।

04. सत्र न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति पूर्ण होने पर अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध दिनांक 20.01.2024 को धारा 307, 341, 324 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया वह समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

05. तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य लाने हेतु सारी प्रकियाएं की गई। अतः दिनांक 15.05.2026 को अभियोजन के निवेदन पर अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया तथा दिनांक 01.06.2026 को उपरोक्त नामित अभियुक्त सूर्यदेव सिंह का धारा 313 दं. प्र. सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किया गया, जिसमें आवेदक अभियुक्त स्वयं को निर्दोष बताया है।

06. अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि ––

(क) क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

(ख) यदि आरोप साबित हुआ है तो अभियुक्त को कितना दण्ड निर्धारित किया जायेगा।

मंतव्य

07. अभियोजन द्वारा इस घटना के समर्थन में कुल चार अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें, अभियोजन साक्षी संख्या–1. धीरज कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या – 2 नीरज कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या –3 गणेश प्रसाद उर्फ गणेश महतो एवं अभियोजन साक्षी संख्या–4 चिटुं कुमार, मौखिक साक्षी है।

08. बचाव पक्ष की ओर से भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य सफाई के क्रम में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23/6/26

09. अभियोजन एंव बचाव पक्ष के विद्वतापूर्ण तर्को को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता हैं कि ––

10. साक्षी संख्या–1 धीरज कुमार जो इस वाद के सूचक हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि इन्होंने ही सुरज देव सिंह के उपर जमीन की छज्जा को लेकर मुकदमा किया था। सुरजदेव सिंह घर बनाने के समय छज्जा निकालने पर विवाद कर रहे थे, उसी को लेकर झगडा हुआ था। लिखीत आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर हैं, जिसे ये पहचानते हैं, इसे प्रदर्श 01 अंकित किया गया है। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि दिनांक 19.08.2019 को चार बजे सुरजदेव सिंह भाला से प्रहार किये थे, जो इनके बांये हाथ के कलाई में लगा। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि पूर्व में सूचक के द्वारा संधी पत्र दाखिल किया गया हैं, जिस पर इनका हस्ताक्षर हैं। लिखीत आवेदन को इन्होंने नहीं पढा था और न ही इन्हें पढकर सुनाया गया था एवं सुरज देव सिंह इनका पडोसी हैं, अब इनसे सूचक का कोई विवाद नहीं है।

11. साक्षी संख्या–2 नीरज कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस के समक्ष इसका कोई बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि दिनांक 19.08.2019 को चार बजे सुरजदेव सिंह, धीरज कुमार के उपर भाला से प्रहार किये थे, जो इनके बांये हाथ के कलाई में लगा और वह जख्मी हो गया। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि इस मुकदमा में सूचक ने अभियुक्त के साथ सुलह कर लिया हैं तथा आज न्यायालय मे ये स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दिये हैं।

12. साक्षी संख्या–3 गणेश प्रसाद उर्फ गणेश महतो हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस के समक्ष इसका कोई बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि दिनांक 19.08.2019 को चार बजे सुरजदेव सिंह, धीरज कुमार के उपर भाला से प्रहार किये थे, जो इनके बांये हाथ के कलाई में लगा और वह जख्मी हो गया। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि इस मुकदमा में सूचक ने अभियुक्त के साथ सुलह कर लिया हैं तथा आज न्यायालय मे ये स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दिये हैं।

13. साक्षी संख्या–4 चिटुं कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में यह अभिकथन किया हैं कि घटना के बारे मे इन्हें कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस के समक्ष इसका कोई बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा इन्हें पक्षद्रोही घ

23/6/26

ोषित कराकर इनका प्रतिपरीक्षण किया गया, इसमे साक्षी का कहना हैं कि ऐसी बात नही हैं कि पुलिस के बयान मे उसने कहा था कि दिनांक 19.08.2019 को चार बजे सुरजदेव सिंह, धीरज कुमार के उपर भाला से प्रहार किये थे, जो इनके बांये हाथ के कलाई में लगा और वह जख्मी हो गया। वहीं साक्षी द्वारा बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण मे कहना हैं कि इस मुकदमा में सूचक और अभियुक्त के बीच आपसी समझौता हो गया हैं तथा आज न्यायालय मे ये स्वेच्छा से बिना किसी डर या भय के गवाही दिये हैं।

निष्कर्ष

14. उभय पक्षों को सुनने और अभिलेख परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय और स्थान पर कोई घटना घटित हुई थी। अभियोजन की ओर से कुल चार अभियोजन साक्षीं का मौखिक साक्ष्य कराया गया हैं जिसमे अभियोजन साक्षी संख्या–1 धीरज कुमार, जो इस केस के सूचक हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में सिर्फ यह अभिकथन किया हैं कि सुरजदेव सिंह घर बनाने के समय छज्जा निकालने पर विवाद कर रहे थे, उसी को लेकर झगडा हुआ था। लिखीत आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर हैं, इसे प्रदर्श 01 अंकित किया गया है। साक्षी का कथन हैं कि पूर्व में सूचक के द्वारा संधी पत्र दाखिल किया गया हैं, जिस पर इनका हस्ताक्षर हैं। लिखीत आवेदन को इन्होंने नहीं पढा था और न ही इन्हें पढकर सुनाया गया था एवं सुरज देव सिंह इनका पडोसी हैं, अब इनसे सूचक का कोई विवाद नहीं है। वहीं अभियोजन साक्षी संख्या 02, 03 एवं 04 ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथनाक के संबंध में अभिकथन किया हैं कि इन्हें घटना की कोई जानकारी नही हैं तथा पुलिस के समक्ष इन सभी का कोई बयान नहीं हुआ था। घटना का समर्थन नहीं करने के कारण अभियोजन द्वारा तीनो साक्षियों कों पक्षद्रोही घोषित करा कर इनका पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया लेकिन इसके द्वारा घ ाटना के समर्थन में कोई उल्लेखणिय तथ्य नहीं बताया गया हैं। सूचक ने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना के दिन भाला मारने के आरोप का समर्थन नहीं किया हैं। वहीं बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतीपरीक्षण में इन सभी साक्षियों का कथन हैं कि इस मुकदमा में सूचक और अभियुक्त के बीच आपसी समझौता हो गया हैं। अन्य कोई उल्लेखणिय बात इन्होंने न्यायालय के समक्ष नहीं बताया है। इस प्रकार सूचक ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का समर्थन नही किया है। अभियोजन द्वारा इस वाद मे न तो अनुसंधानकर्ता और न ही अन्य किसी भी साक्षी का साक्ष्य कराया गया हैं और न ही इनके साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण ही बताया गया हैं। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार का मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभिलेखगत नही कराया गया हैं।

आदेश

15. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन तथा विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त सूर्यदेव सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 307, 341, 324 भा0 द0 वि0 को साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः उक्त नामित अभियुक्त सूर्यदेव सिंह को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा 307, 341, 324 भा0 द0 वि0

23/6/26

के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

16. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख की सारी प्रक्रियाऐं पूर्ण होने के उपरान्त अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में भेंजे।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में पारित किया गया।

23/6/26

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 23/06/2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में टंकित एवं शुद्धित किया गया तथा मेरे द्वारा सुनाया गया।

23/6/26

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बाढ़, पटना
दिनांक– 23/06/2026